# राजस्थान सरकार

# खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक - एफ 33(1) खा.वि./प्रोक्यो./RMS/2024-25

जयपुर, दिनांक

1. संभागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर समस्त राजस्थान |

2. प्रबंध निदेशक

राजफेड / तिलम संघ /

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर |

3. निदेशक

कृषि विपणन विभाग, जयपुर।

4. महाप्रबंधक (क्षेत्र)

भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।

5. राज्य प्रमुख

नेफेड, जयपुर |

विषय: - रबी विपणन वर्ष 2024-25 हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के व्यापक प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- अवर सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक 7(4)/2023-Py.I दिनांक 03.11.2023

#### महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2024-25 हेतु विभिन्न फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश प्रदान किये है |

अतः प्रासंगिक पत्र की प्रति सलंग्न कर निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का श्रम करावें।

संलग्न:- प्रासंगिक पत्र ।

भवदीय

(नवनीत कुमार) अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

#### प्रतिलिपि:-

- 1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर।
- 2. जन सम्पर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (मु.) जयपुर |
- 3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को भेजकर लेख है कि भारत स**डांलुक्स्य प्रोहे** भिरापिक स्थान के आदेश को <u>विभागीय वेबसाइट पर अपलोड</u> किया जाना सुनिश्चित करावें | 5040341 Digitally signed by Nayneet Kumar
- 4. जिला रसद अधिकारी, समस्त राजस्थान |

Designation : Additional

Date: 2023.11 16 17:45:54 IST Reason: Approved to खाँच आयुक्त

#### No. 7(4)/2023-Py.I Government of India Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Department of Food and Public Distribution (Policy-I Section)

. . . .

Krishi Bhavan, New Delhi. Dated: 03-11-2023

To

(1) The Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary Department of Food and Civil Supplies, All State Governments/UT Administrations.

(2) The Chairman and Managing DirectorFood Corporation of India16 - 20, Barakhamba Lane,New Delhi.

Subject:-Price Policy for Rabi Crops for Rabi Marketing Season (RMS) 2024-25-Fixation of Minimum Support Prices (MSPs) - reg.

Madam/Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to state that the Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India vide its OM No.6-2/2023-FES-ES dated 31.10.2023 (copy enclosed) has fixed the Minimum Support Prices (MSPs) of Fair Average Quality (FAQ) of Rabi Crops for Marketing Season 2024-25.

2. It is requested that wide publicity may be given to the above MSPs fixed by the Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India for procurement in RMS 2024-25, so that farmers are well informed about MSP announced in the States concerned and their participation in MSP programme is ensured.

Yours faithfully,

Signed by

Encl: as above.

#### Copy to:

- 1. The Executive Director (Procurement), FCI Headquarters, New Delhi.
- 2. The Executive Director, FCI (All Zone).
- 3. The General Manager(Proc), FCI Hgrs., New Delhi
- 4. The General Manager, RO, FCI (All Regions).
- 5. Adviser(FE), DA&FW, Krishi Bhavan, New Delhi.

#### Copy also to:

- 1. PS to Minister (CA, F&PD).
- 2. PS to MoS (CA,F&PD).
- 3. Sr. PPS to Secretary (F&PD).
- 4. PPS to AS&FA, DFPD.
- 5. PPS/PS to AS (P&FCI)/ Sr. EA/ JS (BP&PD)/ JS (Storage & PG)/JS (Admn & IC)/Prl. Adv (Cost)/Adv. (Cost)/CCA, DFPD.
- 6. Director (Py.II, III & FC.III)/ Director (Finance) / Director (PD)/ Director(S&VO)/ Director(Movt.)/ Director(NFSA)/ Deputy Secretary (BP)/ Deputy Secretary(Py-I & IV)/ Deputy Secretary (FCI)/ Deputy Secretary (FC A/Cs) / Deputy Commissioner (S&R), DFPD.
- 7. US(FC A/Cs)/US (Py. III )/US (Movt.)/US (Finance), DFPD.
- 8. Control Room, DFPD.
- 9. Information Officer, DFPD.

# F. No. No 6-2/2023-FES-ES Government of India Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Department of Agriculture & Farmers Welfare Economics, Statistics & Evaluation Division (Food Economics Section)

Room No 443, Krishi Bhawan, New Delhi Dated: 31<sup>st</sup> October, 2023

Subject: Price Policy for Rabi Crops for Marketing Season 2024-25-- Fixation of Minimum Support Prices.

Government of India has approved the increase in MSP of mandated Rabi Crops for Marketing Season 2024-25 on 18.10.2023. Details of MSPs for mandated Rabi Crops (Fair Average Quality) for Marketing Season 2024-25 are given as under:

Commodity (Fair Average Quality)	Minimum Support Price (₹ per quintal)
Wheat	2275
Barley	1850
Gram	5440
Lentil (Masur)	6425
Rapeseed & Mustard	5650
Safflower	5800

- 1.2 The prices of other oilseeds belonging to the rapeseed and mustard group such as toria be fixed on the basis of their normal market price differentials with rapeseed & mustard.
- In the case of cereals, Food Corporation of India (FCI) and other designated state agencies would continue to provide price support to the farmers. State Governments will undertake procurement of coarse grains with prior approval of Government and would distribute the entire procured quantity under National Food Security Act (NFSA). The subsidy will be provided only for the quantity issued under NFSA. National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED), Small Farmers Agri Business Consortium (SFAC) and other designated central agencies would continue to undertake procurement of pulses and oilseeds. The losses, if any, incurred by the nodal agencies in such operations may be fully reimbursed by the Central Government as per the guidelines.
- 2. The Ministries/Departments concerned are requested to take necessary action for providing price support operations as well as for wide dissemination of related information.

Saikat Sarkar)
Adviser (FE)

Tel: 011-23382244

- 1. Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi
- 2. Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi

- -3. Secretary, Department of Food & Public Distribution, Krishi Bhawan, New Delhi
- 4. Secretary, Department of Consumer Affairs, Krishi Bhawan, New Delhi
- 5. Secretary, Department of Commerce, Udyog Bhawan, New Delhi
- 6. CEO, NITI Aayog, NITI Bhawan, New Delhi
- 7. Chairman, CACP, Krishi Bhawan, New Delhi.
- 8. Joint Secretary (I&PS), Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi.
- 9. Joint Secretary (Policy & FCI); Department of Food & Public Distribution, Krishi Bhawan,
- 10. Joint Secretary (Marketing), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Krishi Bhawan, (with request to direct the concerned officers for arrangements on displaying MSP in the APMC mandis).
- 11. DDG (Extension), Indian Council of Agriculture Research, Krishi Anusandhaan Bhawan, Pusa, New Delhi-110012 (with request to direct KVKs to disseminate the MSP to farmers).

#### Internal Circulation to:

- 1. All Additional Secretaries of DA&FW
- 2. All Joint Secretaries of DA& FW
- 3. All Advisers of ES&E Division
- 4. PS to Hon'ble Minister for Agriculture and Farmers Welfare
- 5. PS to MOS (A&FW)
- 6. PS to MOS (A&FW)
- 7. PS to Secretary, DA&FW
- 8. PPS to special Secretary, DA&FW
- 9. PS to Principal Economic Adviser
- 10. PPS to Sr. Economic & Statistical Adviser, DES

फा.सं. 6-2/2023-एफईएस-अ.सां. भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अर्थ, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग (खाद्यान्न आर्थिकी सेक्शन)

कक्ष संख्या 443, कृषि भवन, नई दिल्ली दिनांक: 31 अक्टूबर, 2023

विषय: 2024-25 विपणन मौसम की रबी फसलों की मूल्य नीति - न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण ।

अधोहस्ताक्षरी को 2024-25 विपणन मौसम की रबी फसलों की मूल्य नीति का सन्दर्भ लेने के लिए निर्देशित किया गया है। इस सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने दिनांक 18.10.2023 को 2024-25 विपणन मौसम की अधिदेशित रबी फसलों (उचित औसत गुणवत्ता) के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। 2024-25 विपणन मौसम की रबी फसलों की एमएसपी का ब्यौरा निम्नलिखित है:

जिन्स	न्यूनतम समर्थन मूल्य
(उचित औसत गुणवत्ता)	(₹ प्रति क्विंटल)
गेहूं	2275
जौ	1850
चना	5440
लेन्टिल (मसूर)	6425
रेपसीड एवं सरसों	5650
कुस्म्भ	5800

- 2. इस सन्दर्भ में यह बताया जाता है कि रेपसीड और सरसों समूह से सम्बंधित अन्य तिलहनों जैसे तोरिया का मूल्य रेपसीड और सरसो के साथ उनके सामान्य बाजार मूल्य अंतरों के आधार पर तय किए जाएंगे।
- 3. साथ ही यह भी उल्लिखित है कि अनाजों और मोटे अनाजों के मामले में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियां किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करना जारी रखेगी। राज्य सरकारें सरकार के पूर्वानुमोदन से मोटे अनाजों की खरीदारी जारी रखेगी और खरीदी गई संपूर्ण मात्रा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसए) के तहत वितरित करेगी। सब्सिडी केवल एनएफएसए के तहत जारी की गई मात्रा के लिए ही प्रदान की जाऐगी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड), लघु कृषक-कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) और अन्य नामित केंद्रीय एजेंसियां दलहनों और तिलहनों की खरीदारी करना जारी रखेगी। ऐसे प्रचालनों में नोडल एजेंसियों को हुई हानि, यदि कोई हो, की पूर्ण प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

4. इसके अतिरिक्त, संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे मूल्य समर्थन संचालन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ संबंधित सूचना के विस्तृत प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

(सैकत सरकार) सलाहकार (एफई) दूरभाष: 011-23382244

### परिचालन हेतु:

- 1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- 2. सचिव,व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- 3. सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
- 4. सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
- 5. सचिव, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
- 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, नीति भवन, नई दिल्ली
- 7. सदस्य-सचिव, सीएसीपी, कृषि भवन, नई दिल्ली
- 8. संयुक्त सचिव (आई एंड पी एस) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन
- 9. संयुक्त सचिव (नीति एवं एफसीआई) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन
- 10. संयुक्त सचिव (मार्केटिंग) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली (इस अनुरोध के साथ कि वे एपीएमसी मण्डियों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों का प्रसार करने संबंधी व्यवस्था करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे)।
- 11. डीडींजी (विस्तार), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन, पूसा, नई दिल्ली-110012 (इस अनुरोध के साथ कि वे किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों का प्रचार-प्रसार करने हेतू केवीके को निर्देश दें)

## आंतरिक परिचालन हेतु:

- 1. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सभी अपर सचिव
- 2. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सभी संयुक्त सचिव
- 3. अर्थ ,सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग के सभी सलाहकार
- 4. माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के निजी सचिव
- 5. माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री के निजी सचिव
- 6. माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री के निजी सचिव
- 7. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ निजी सचिव
- 8. विशेष सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ निजी सचिव
- 9. प्रधान आर्थिक सलाहकार के निजी सचिव
- 10. वरिष्ठ आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार, अर्थ ,सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग के वरिष्ठ निजी सचिव